



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112022-239996
CG-DL-E-03112022-239996

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4887]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 2, 2022/कार्तिक 11, 1944

No. 4887]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 2022/KARTIKA 11, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2022

का.आ. 5106(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 520 (अ), दिनांक 09/02/2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा, हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में जीरकपुर-परवाणू खंड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (पुराना एनएच-22) के कि.मी. 39.960 से कि.मी. 67.550 (पंचकुला) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 11/02/2022 को "द ट्रिब्यून (अंग्रेजी)" और "पंजाब केसरी (हिन्दी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के पंचकूला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (पुराना एनएच-22) के कि.मी. 39.960 से कि.मी. 67.550 तक जीरकपुर-परवाणू खंड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: हरियाणा		जिले का नाम: पंचकूला			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कालका				
	गांव का नाम: बिटना (153)				
1	884/654/553	निजी	गैरमुमकिन सड़क	0.037	बाबू राम पुत्र रंगी राम वसीदेह ()
			कुल	0.037	

[फा. सं. NHAI/BOT-II/11019/9/2003/LA-245/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2022

S.O. 5106(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No. 520(E) dated 09/02/2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Zirakpur-Parwanoo Section of NH-5 (Old NH-22) on the stretch of land from Km 39.960 to Km 67.550 (Panchkula) in the district of PANCHKULA in the state of HARYANA.

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Tribune (English)” and “Punjab Kesri (Hindi)” both dated 11/02/2022 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 39.960 to Km. 67.550 (Panchkula) of the National Highway NH-5 (Old-NH22) Zirakpur-Parwanoo Section in the district of PANCHKULA in the state of HARYANA.

State: HARYANA			District: PANCHKULA		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Kalka				
	Village: Bitna (153)				
1	884/654/553	Private	Gairmumkin Road	0.037	Babu Ram S/o Rangi Ram wasideh
			TOTAL	0.037	

[F. No. NHAI/BOT-II/11019/9/2003/LA-245/3D]

RAJESH GUPTA, Director